भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2809

(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

संपादकीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए सुधार

2809. एडवोकेट प्रिया सरोजः

श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के लिए बजट आवंटन, वास्तविक व्यय और राजस्व सृजन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और साथ ही प्रत्यक्ष सरकारी अनुदानों के माध्यम से कितना वित्तपोषण हुआ है;

(ख) पक्षपात, पारदर्शिता की कमी या स्वतंत्रता से समझौता करने का आरोप लगाने वाली संपादकीय या कंटेंट-संबंधी शिकायतों की संख्या क्या है और आंतरिक समीक्षाओं या निगरानी तंत्रों में दर्ज निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सार्वजनिक प्रसारकों की स्वायत्तता, नियुक्तियों या संपादकीय कामकाज के संबंध में पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया निकायों से प्राप्त शिकायतों या औपचारिक अभ्यावेदनों की संख्या क्या है;

(घ) दर्शक हिस्सेदारी, विश्वसनीयता की धारणा और जनता के विश्वास के स्तर के संबंध में निष्पादन संपरीक्षा, पहुंच सर्वेक्षणों या मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं की संपादकीय स्वतंत्रता, वित्तीय पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए संरचनात्मक, कानूनी या शासन संबंधी सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ) : सरकार ने वर्ष 2021-26 के लिए देश में प्रसार भारती के प्रसारण अवसंरचना के विकास, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम की अवधि

31.03.2027 तक बढ़ा दी गई है। बजट में आवंटित निधि, वास्तविक व्यय तथा राजस्व सृजन का विवरण प्रसार भारती की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संपादकीय मामलों की नियमित रूप से प्रधान संपादक तथा वरिष्ठ संपादकीय टीमों द्वारा समीक्षा की जाती है। आवश्यकता होने पर समाचारों की गुणवत्ता, सटीकता, संतुलन एवं प्रस्तुतीकरण में सुधार के लिए मार्गदर्शन एवं सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, साथ ही प्रसार भारती की संपादकीय नीतियों तथा कार्यक्रम संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। दर्शकों की शिकायतों अथवा प्रतिक्रियाओं, जिनमें संपादकीय सामग्री से संबंधित शिकायतें/प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं, को स्थापित नीति के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए संबंधित संपादकीय टीम को अग्रेषित किया जाता है।

पिछले एक वर्ष के दौरान लोक प्रसारकों की स्वायत्तता, नियुक्तियों अथवा संपादकीय कार्यप्रणाली के संबंध में पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया संगठनों की ओर से कोई शिकायत अथवा औपचारिक अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आवेदकों की ओर से नियुक्ति के संबंध में 07 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

आकाशवाणी देश की लगभग 98 प्रतिशत जनसंख्या तथा लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। 'डीडी फ्री डिश' की सेवा देश में कहीं भी बिना किसी सदस्यता शुल्क के प्राप्त की जा सकती है। प्रसार भारती अपने नियमित संपादकीय कार्यों के अंतर्गत दर्शक संख्या संबंधी आंकड़ों, दर्शकों की प्रतिक्रियाओं तथा सोशल मीडिया विश्लेषण की नियमित समीक्षा करता है और इनसे प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग समाचारों की गुणवत्ता, सामग्री एवं प्रस्तुतीकरण में निरंतर सुधार के लिए करता है।
